न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/267

1. लक्ष्मीनारायण आत्मज रामचन्द्र जाति धाकड ।
2. रामस्वरूप आत्मज रामचन्द्र जाति धाकड ।
3. जगदीश पुत्र रामचन्द्र जाति धाकड ।
4. राजूलाल पुत्र कान्हा धाकड ।
5. रामकुंवार पुत्र कान्हा धाकड ।
6. मोहन आत्मज रामचन्द्र धाकड निवासी ग्राम तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्योजी आत्मज रामनाथ धाकड निवासी सांवतगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (नाम तर्क) ।
2. किशना आत्मज रामनाथ जाति धाकड निवासी सावंतगढ (मृतक) जरिये कायमुकामान :—
   2/1. सत्यनारायण आयु 35 वर्ष
   2/2. महावीर आयु 30 वर्ष ।
   2/3. चेतराम आयु 28 वर्ष ।
   2/4. श्रीराम आयु 26 वर्ष ।
   2/5. मनराज आयु 24 वर्ष ।
   2/6. दिलकुश आयु 21 वर्ष पिसरान किशना जाति धाकड निवासी ग्राम सावंतगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   2/7. श्रीमती लाड आयु 32 वर्ष पुत्री किशना पत्नी आशाराम जाति धाकड निवासी ग्राम थली तहसील दुनी जिला टोंक ।
   2/8. बजरंगी बाई बेवा किशना जाति धाकड निवासी ग्राम सांवतगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. कालू आत्मज रामनाथ धाकड निवासी सांवतगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 15.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 एवं 92 (ए) के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सांवतगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खसरा नम्बर 141 रकबा 05 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण के तन्हा स्वामित्व एवं कब्जे की है जिस पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । प्रतिवादीगण ने गॉव में गिरोह बना रखा है और वे बिना किसी आधार के ताकत के बल पर वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा हैं । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी पर वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे में किसी प्रकार का दखल न दे और न ही उसके किसी भाग पर कब्जा करें और न ही किसी अन्य से करावें । वादीगण को उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करने में कोई व्यवधान पैदा नहीं करें ।

4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 के द्वारा वाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम दोनों खारिज कर दिये ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वादीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में संशोधन करने के प्रार्थना पत्र की बहस के लिए नियत थी । अंतिम बहस के लिए नियत नहीं रखी थी इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने काउन्टर क्लेम का अंतिम निर्णय करके खारिज कर दिया । अपीलान्टगण लोक अदालत में उपस्थित नहीं थे और न ही पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा हुआ था । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण के द्वारा एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जिसमें प्रतिवादी अपीलान्ट ने जवाबदावा पेश कर दावे को अस्वीकार किया और काउन्टर क्लेम पेश किया । दिनांक 16.10.2003 को रेस्पोडेन्ट वादीगण का वाद खारिज कर

दिया गया था और दिनांक 19.12.2007 को काउन्टर क्लेम डिक्री कर दिया गया । वादीगण के प्रार्थना पत्र दावे को पुनः नम्बर पर लिया गया और दिनाक 17.06.2015 को लोक अदालत में बिना साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये दावा एवं काउन्टर क्लेम को खारिज कर दिया । वादी अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । लोक अदालत की भावना के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एंव डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में दावा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 17 सीपीसी में लम्बित था और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में न तो पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही कोई राजीनामा पेश किया और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा और काउन्टर क्लेम दोनों ही खारिज किये गये हैं ।

10. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 09.12.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 15.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/10/19

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा